

an>

Title: Need to provide creche facilities to working women with kids.

ॐ. वीरिन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक अति लोक महत्व का विषय उठाना चाहता हूं। देश के ये सभी कार्य स्थल जहां 30 या उससे अधिक महिलाएं काम करती हैं, संस्थान के नियोक्ता और प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है कि वहां क्रेच की सुविधा प्रदान करें। यह देखने में आता है कि इस पर अमत नहीं होता, विशेष रूप से असंगठित श्रेष्ठों में ऐसे होता है। दूरदराज के ग्रामीण श्रेष्ठों, मध्य पूर्व, टीकमगढ़, छतरपुर, विहार, ओडिशा और बंगाल आदि से लाखों की संख्या में महिलाएं काम करने के लिए आती हैं। जहां ये काम करती हैं, वहीं मिस्ट्री, मिस्ट्री का द्वारा लगा रहता है, सीमेंट पड़ी रहती है, लोडा पड़ा रहता है और उनके छोटे-छोटे बच्चों द्वारा रहते हैं जो कुपोषण और प्रदूषण का शिकार होते हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि उन नौनिहालों को कुपोषण और प्रदूषण से बचाने के लिए एक गर्भीय क्रेच नियम का मसीदा तैयार किया जाए। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, जीव कल्याण वर्ष है, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उन नौनिहालों को कुपोषण और प्रदूषण से बचाने के लिए क्रेच की सुविधा दी जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :

कुपर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री ओम विरला,

श्री सुधीर गुप्ता,

श्री शेडमल नागर,

श्री अधिनी कुमार चौधे और

श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डा. वीरिन्द्र कुमार द्वाया उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।